14

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी-सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)
दावा नम्बर - 50/2018

1. चरन सिंह उम्र 51 साल पुत्र श्री किशन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम मनौता खुर्द तहसील नगर जिला भरतपुर (राज.)

---वादी

बनाम

1. राज. सरकार जरिये श्री मान जिला कलेक्टर महोदय,भरतपुर (राज.)
2. तहसीलदार साहब, तहसील नगर (भरतपुर) राज.

--- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा - 88, 89, 91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम व धारा 136 भू- राजस्व अधिनियम

उपस्थित : अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गोयल

निर्णय

दिनांक 22.02.2021

1. वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि आराजी खसरा नम्बर 100 मि. रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मानौता खुर्द तहसील नगर जतन पुत्र केवल, जाट निवासी मानौता खुर्द के कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा था जिसने उक्त रकबा दिनांक 04.7.1972 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा वादी चरन सिंह व वादी के भाई शिवसिंह, देवीसिंह व माँ मुस. रामप्यारी को वय कर मौके पर दखल व कब्जा दे दिया था,बाद बैयनामा रकबे पर काबिज काश्त हैं, मुताबिक बैयनामा क्रेतागण के नाम नामान्तरकरण भी होकर राजस्व रिकार्ड में पुष्टि आ गई किन्तु दौराने सेटिलमेन्ट उक्त साबिक खसरा नम्बर 100 से बने हाल नम्बरान 120/0.74, 121/0.66, 122/1.03 पर वादी का नाम चरन सिंह के स्थान पर वचन सिंह दर्ज कर दिया इस गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के हक हकूको पर कुठाराघात हो रहा है एवं कृषि ऋण व अन्य योजनाओं के लाभ से लाभ से भी वादी वंचित हो रहा है।
   इस गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण के अधीनस्थ कर्मचारी कब्जे काश्तकारी में हस्तक्षेप करने पर आमादा हैं। जिसके लिए दिनांक 28.5.2018 को सरेआम धमकी दी हैं कि हम गलत इन्द्राज के आधार पर वादी को बेदखल कर देंगे, इस प्रकार यदि ऐसा हुआ तो वादी को सख्त हकतलफी होगी, नुक्सान अजीम होगा जिसकी पूर्ती किसी भी नकद धनराशि से ना हो सकेगी और वादी अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगा। विदि वजह वादी रकबा मुतदावीया में अपने नाम की शुद्धि बचन सिंह के स्थान पर चरन सिंह कारा पाने एवं डिक्री हुक्मइम्तनाई दवामी पाने का अधिकारी है।

2. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने अपने जवाब दावा में यह स्वीकार किया है कि " भू-प्रबंध से पूर्व रिकार्ड में वादी का नाम चरन सिंह दर्ज है। अतः बचन सिंह के बजाय चरन सिंह किया जाना उचित है ।

4. हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया जो सारत: इस प्रकार से है -
   (i) पंजीयन दस्तावेज दिनांक 04.7.1972 में अन्य क्रेताओं के साथ साथ वादी का नाम क्रेता के रूप में चरन सिंह पिसरान किशनसिंह दर्ज हैं तथा पंजीयन दस्तावेज में साबिक आ.ख.न. 100 मि. रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भी बेचान में उल्लेखित है।
   (ii) पंजीयन दस्तावेज से संबंधित नामान्तरकरण फैसल दिनांक 30.11.72 मैं भी क्रेता का नाम अन्य क्रेताओं के साथ चरन सिंह लिखा जाकर ही स्वीकार किया किया गया है।

22.2.21

15

(iii)भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार जमाबन्दी स. 2036 में भी हाल आ.ख.न. 120/0.74, 121/0.66, 122/1.03 " ओंकार पुत्र खैराती जाति जाट सा. देह खातेदार 1/2 रामप्यारी जोजे किशनसिंह निस्फ शिवसिंह देवीसिंह व वचनसिंह पि. किशनसिंह हि. व निष्फ दर 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार " दर्ज रिकार्ड है।

(iv) हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी स. 2069-72 वाके ग्राम मानौता खुर्द के खाता स. 26 में आ.ख. न. 120/0.74, 121/0.66, 122/1.03 "ओंकार पुत्र खैराती 1/2 हि. रामप्यारी जोजे किशनसिंह 1/4 हि. शिवसिंह देवीसिंह बचनसिंह पि. किशनसिंह 1/4 हि. जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

इससे स्पष्ट है कि वास्तविक नाम चरन सिंह है जो जमाबन्दी लिखते हुए त्रुटिवश बचन सिंह लिखा गया है। पैरोकार सरकार ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया हैं। इस प्रकार वादी का नाम हाल राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना उचित है जिसके की वाद के नियम संगत के साथ साथ राजस्व रिकार्ड को भी अद्यतन व शुद्ध रखा जा सके।

अतः आदेश दिया जाता है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम शुद्ध किया जाकर बचन सिंह के स्थान पर चरन सिंह लिखा जावें तथा साथ ही प्रतिवादी को इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि वे केवल गलत नाम के इन्द्राज होने के आधार पर वादी को उसके कब्जेकाश्त खातेदारी आराजी में व्यवधान पैदा न करे। निर्णय आज दिनांक 22 .2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.2.21

(सुरेन्द्र प्रसाद)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
नगर (भरतपुर)